संoसंo–9 / आo–01–46 / 2018 329(9) 26/5/22 (43)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डाo मुनीलाल गुप्ता, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी, पटना सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा** के पदस्थापन काल में दिनांक–11.06.2009 से 16.10.2011 तक अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डाo मुनीलाल गुप्ता के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरापों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डॉo उषा किरण वर्मा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–.9 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डाo मुनीलाल गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राम ईश्वर)

Signed by Ram Ishwar
Date: 26-04-2022 16:42:53
Reason: Approved

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आo–01–46 / 2018(स्वाo)....329(9).... / **पटना, दिनांक** : ....26/5/22....

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित . **डॉo उषा किरण वर्मा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आo–01–46 / 2018(स्वाo)....329(9).... / **पटना, दिनांक** : ....26/5/22....

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–.9 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आo–01–46 / 2018(स्वाo)....329(9).... / **पटना, दिनांक** : ....26/5/22....

प्रतिलिपिः–**डाo मुनीलाल गुप्ता, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी, पटना सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

[नियम–17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

प्रपत्र–'क'

1.	सरकारी सेवक का नाम	– डा0 मुनी लाल गुप्ता
2.	पदनाम	– सीनियर रेजिडेंट
3.	संवर्ग	– बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग
4.	पदस्थापन स्थान	– तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी, पटना सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा।
5.	वेतनमान	– ....
6.	जन्मतिथि	– 08.03.1966
7.	सेवानिवृति की तिथि	– 31.03.2033
8.	आरोप / लांछन का अभिकथन	– अनधिकृत अनुपस्थित का आरोप।

आरोप–पत्र

आरोप सं0	आरोप / लांछन का अभिकथन
1.	सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–5858 दिनांक–17.07.2017 द्वारा प्रतिवेदित है कि आप दिनांक–11.06.2009 से 16.10.2011 तक अपने कर्त्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।
2.	आपके अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण चिकित्सीय कार्य में वाधा उत्पन्न हुई जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई।
3.	राज्य सरकार आम जनों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है परन्तु आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(ii) में निरूपित अनुदेश के प्रतिकूल है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन का द्योतक है। इसके लिए आप वृहत दण्ड के भागी प्रतीत होते है।

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

साक्ष्य तालिका:–

1. सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–5858 दिनांक–17.07.2017

Signed by Ram Ishwar
Date: 26-04-2022 16:41:26
Reason: Approved

प/अ०-1-46/2018 - 911(2) 9/8/18

पीत–पत्र के बदले में

संचिका सं०–2/एल–52/2016

प्रभारी पदाधिकारी,
प्रशाखा–09
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

डा० मुनीलाल गुप्ता, सीनियर रेंजिडेंट वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा पर विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय कार्रवाई संचालित करने हेतु प्रपत्र 'क' संलग्न कर इस पीत–पत्र के द्वारा नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है।

अनु०–यथोक्त ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

S.O.-9
09.8.18
10/8/18
D.N.(07)-1503
13/08/2018

(प्रपत्र–"क")

1. आरोपित पदाधिकारी का नाम – डा० मुनीलाल गुप्ता

2. पदनाम – सीनियर रेजिडेंट

3. पदस्थापन स्थल – वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा

क्रमांक	आरोप	साक्ष्य
1.	दिनांक–11.06.2009 से 16.10.2011 अनाधिकृत अनुपस्थिति ।	सिविल सर्जन, पटना का पत्रांक–5858 दिनांक–17.07.2017 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा बेलछी पटना का पत्रांक–158 दिनांक–07.07.2017

आपका उपर्युक्त कृत्य अनुशानहीनता की पराकाष्ठा एवं सरकारी सेवा में बने रहने की अनिच्छा का द्योतक है, जिसके लिए आप बृहद दण्ड के भागी हो सकते है।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

पत्रांक.......5858.......

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

श्री रविन्द्र यादव,
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : ....17.7.2017.......।

विषय: **डॉ०मुन्नीलाल गुप्ता, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सकसोहरा, बाढ़, पटना के अवकाश स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग: **स्वास्थ्य विभागीय पत्र संख्या 464(2) दिनांक 31.05.17**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि डॉ० मुन्नीलाल गुप्ता के द्वारा उपभोगित अवकाश दिनांक 11.06.09 से 16.10.11 तक से संबंधित कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा तत्संबंधित सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेल्छी के पत्र संख्या 158 दिनांक 07.07.17 द्वारा विभाग को भी प्रेषित की गई है। (छायाप्रति संलग्न)।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

S.O.2
31.7.17

8-8-17

20104
08/8/2017

E:\csoffice1\jitendra\letter-8

प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, बेलछी (पटना)

PRIMARY HEALTH CENTRE BELCHI (PATNA)

Phone No. 8804357694 BELCHI NH-30 Pin- 803110 E-Mail:- phcbelchi@gmail.com

पत्रांक 158 दिनांक 07-7-2017

प्रेषकः—प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बेलछी, पटना।

सेवा में,

रवीन्द्र यादव

सरकार के अवर सचिव। स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।

विषयः— डॉ0 मुन्नीलाल गुप्ता तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी,अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सकसोहरा.बेलछी पटना के अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः—भवदीय ज्ञापांक 2/एल—52/2016 464(2) दिनांक 31.05.2017।

महाशय,

उपयुर्क्त प्रासांगिक विषयक कहना है कि डॉ मुन्नीलाल गुप्ता तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी,अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सकसोहरा.बेलछी पटना के द्वारा दिनांक 11.06. 2009 से 16.10.2011 तक किसी प्रकार का कोई अवकाश से संबंणित आवेदन इस संस्थान को प्राप्त नहीं है।अवकाश से संबंधित निम्नांकित अभिलेख इस प्रकार है।

7330

1. प्रभार त्याग एवं प्रभार ग्रहण से संबंधित कोई भी अभिलेख का साक्ष्य डॉ0 गुप्ता के द्वारा नहीं दिया है।
2. कोई अवकाश इस संस्थान से स्वीकृत नहीं किया गया है।
3. अवकाश विस्तार हेतू कोई साक्ष्य संरथान को प्राप्त नहीं है।
4. मेडिकल रिर्पोट एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं है।

08/07/17

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, पटना

प्रतिलिपिः—सिविल सर्जन ~~सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति~~ पटन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08/07/17

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, पटना

17

सेवा में,

अवर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

विषयः स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध मे।

40461 09

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक 1113(9) दिनांक 24.07.19 द्वारा मुझसे चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी, पटना के पदस्थापनकाल में दिनांक 11.06.2009 से 16.10.2011 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में प्रपत्र–'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया है।

उपर्युक्त के संबंध में मेरा पक्ष यह है कि :–

1. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था कि दिनांक 10.06.2009 को अचानक पीठ के नीचले हिस्से में असहनीय पीड़ा हुई और मेरे स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो गई।

2. अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित कर मैं इलाज हेतु प्रस्थान कर गया।

3. चिकित्सा के दौरान मुझे चिकित्सकों द्वारा कंप्लीट बेडरेस्ट की सलाह दी गई।

4. इस अवधि में मैं लगातार अवकाश आवेदन भेजता रहा।

5. मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने कर्तव्य में उपस्थित हो पाता इसलिए बाध्यकारी परिस्थिति में अवकाश में रहा।

6. मैं अपने प्रभारी को सूचना देने के उपरांत अपने **Low Back Pain** की चिकित्सा हेतु दिनांक 11.06.09 से 16.10.11 तक अवकाश में रहा। मेरी चिकित्सा संबंधी प्रमाण संलग्न कर रहा हूँ।

7. मैंने अपनी सेवा अवधि में मैंने निष्ठापूर्वक सरकार की सेवा की है तथा सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में जिस अस्पताल में भी मेरा पदस्थापन किया गया अच्छी तरह मरीजों का ईलाज किया है। इससे पहले मेरे विरूद्ध कोई शिकायत नहीं रही है।

अतः अनुरोध है कि मुझे आरोप मुक्त करते हुए मेरी अवकाश अवधि दिनांक 11.06.09 से 16.10.2011 तक को विनियमित करने की कृपा की जाय।

3-10-19

विश्वासभाजन

मुनीलाल गुप्ता 27.9.2019

डा0 मुनीलाल गुप्ता,

तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी,

अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बेलछी

संप्रति सीनियर रेजिडेंट, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी

1329

3/10/19

अनुसूची—53 फारम सं० 202

वि० नि० फार्म—3
(वि० नि० नियम 86 द्रष्टव्य)

प्रभार रिपोर्ट

स्थान ..... अनु० अ० बाढ़ पटना

अधोहस्ताक्षरी मैं ..... एकु तरफा
(बड़े-बड़े साफ अक्षरों में) ने अधोहस्ताक्षरी श्री ..... डा० मुन्नी लाल गुप्ता .....
(बड़े-बड़े साफ अक्षरों में) को तारीख ..... 13/10/11 ..... सन् ..... 2011 ..... के
पूर्वाह्न / अपराह्न में ..... चिकि० पदा० ..... के रूप में भार सौंपा।
मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ / स्थानान्तरण होने पर ..... (पदनाम)
के रूप में पद ग्रहण करने के लिए ..... (स्थान) जा रहा हूँ।
विभाग की अधिसूचना संख्या—2 (बी) 12–11 ..... दिनांक ..... द्रष्टव्य / अधिसूचना
की प्रतीक्षा है। 1051(2) 19/9/2011 एवं C.S. के ज्ञा० 11597 11/10/2011

Counter Signed
30.10.11

भारमुक्त पदाधिकारी

मुन्नी लाल गुप्ता
भारग्राही पदाधिकारी
चिकित्सा पदाधिकारी
अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ (पटना)

..... सं० (शब्दों में) का स्थायी भार (पदनाम) .....
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना ने
प्राप्त किया (लिया) है।

(लेखाकार परीक्षा कार्यालय में उपयोग के लिए)

लेखा परीक्षा रजिस्टर

..... में अंकित

सेवा इतिहास

मान पर्ची निर्गत

महालेखाकार का कार्यालय

Popular NURSING HOME

·pt. of Orthopaedics

Dr. Ashok Kumar Sinha
MBBS (Pat.) M.S. Ortho.
Chief Consultant
Orthopaedic Surgeon
Contact No.: 9431494222

Dr. Swastik Shivapuri
Orthopaedic Surgeon
Associate Consultant

Dr. Vineesh Niranjan
Orthopaedic Surgeon
Associate Consultant

Dr. Rakesh Kumar
Orthopaedic Surgeon

Dr. Atiullah Ansari
RMO

Neurosurgery
Dr. Ashok Kumar Sinha
M.S. (Gen. Surgeon), M.Ch. (BHU)

Plastic Surgery
Dr. B. K. Sharma
M.S., M.Ch. (Plastic Surgery)
Dr. Omkar Dev
M.S. (Plastic Surgery)

General Surgery
Prof. (Dr.) R. P. Singh
M.S. (Gen. Surgery)

Anesthesia
Dr. B. K. Prasad
Dr. ·wdhesh Mani
·ni Lal Gupta

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Dr. M.L. Gupta ( )
Aged 47Y/M, Resident of Mahendru, Patna, was suffering for Low Back Pain, from 11.06.09 to 16.10.11, He was Under my treatment.
Now he is fit for joining his duty.

Dr. Vinish Niranjan

Date 17.10.11 17.10.2011

ASHOK RAJ PATH, CHOUHATTA, PATNA-800 004
·-2689997, E-mail : thyrocarepatna@rediffmail.com, Website : www.popularnursinghome.com

786(9)
24/01/2019

संoसंo 9/आo—01—46/2018
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

स्पीडपोस्ट

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

डाo मुनीलाल गुप्ता,
सीनियर रेजिडेंट, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान,
पावापुरी, नालंदा।

पटना, दिनांक :

विषयः— स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 1113(9) दिनांक 28.9.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपसे श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का पीत पत्र संo 914(2) दिनांक 09.08.18 तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः अन्तिम अवसर देते हुए कहना है कि उसमें उल्लिखित आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष के अंदर विभाग में समर्पित करें।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन
23/01/19
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक— 786(9)

दिनांक— 24/01/19

प्रतिलिपि :— अधीक्षक/प्राचार्य वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराने हेतु प्रेषित।

23/01/19

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Letter (Repaired).docx